



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 2011/माघ 9, 1932

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 2011/MAGHA 9, 1932

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 27 जनवरी, 2011

फा. सं. यूटीआई-एएम/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट-2010-11/66.—लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का
विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2010 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई), मुंबई की योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी91 एवं 4. एमआईपी 96 IV के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कार्योरिट कार्यालय, मुंबई में केंद्रीकृत है, कई शाखाओं एवं प्रमुख कार्यालयों (पूर्ववर्ती यूटीआई के, जिन्हें अब यूटीआई वित्तीय केंद्रों में बदल दिया गया है) से प्राप्त, संग्रहीत एवं विस्तारपूर्वक मिलान किए गए वित्तीय आंकड़ों/सूचना के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्ठादान करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप तथा यहाँ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं तालिका 'ड' में उल्लिखित लेखा टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :

 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2010, एसयूयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/प्लानों/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी 91 और 4. एमआईपी 96 IV के उक्त राजस्व लेखे, आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

**कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार**

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16.08.2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(अनुबंध, उक्त रिपोर्ट के अंश)

- भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरसन कर दिया था। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई स्पूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। अतः उपरोक्त योजनाओं/फंडों के संबंध में एसयूयूटीआई के लेखे, निरसन अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।
- डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं, में पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है। प्राप्त की गई सूचना के अनुसार (क): 33 मामलों में, कुल रु. 138.04 करोड़ हेतु सुरक्षा निर्मित ही नहीं की गई है तथा इनमें से 32 मामलों में जिसमें कुल रु. 137.29 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है। (ख): 33 मामलों में कुल रु. 48.21 करोड़ हेतु सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं की गई है तथा इनमें से 32 मामलों में, जिनमें रु. 47.81 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है। पूर्ण आंकड़े/सूचना न होने के कारण ऋण पोर्टफोलियो की वसूली योग्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- एसयूयूटीआई, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस लि. के जरिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कई संपत्तियों की बिक्री की है। हमारी राय में, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि, बिक्री संबंधी प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, संपत्तियों की बिक्री निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन एवं सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, इससे वित्तीय विवरणी एवं दीर्घावधि से लंबित समीक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

**कृते अशोक भारतीय एवं कं.
सनदी लेखाकार**

(अशोक भारतीय)**स्थान: मुंबई****दिनांक: 16.08.2010**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. आय निर्धारण

- I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
 - क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्धृत होती है।
 - ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्धृत होती है।
 - ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्धृत होती है।
- II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्धवन आधार पर आय माना जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- IV. यूनिट योजना 1964 बॉड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहां यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अन्तर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के रूप में भारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय :

ये प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

- i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
- iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल है।
- iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।

- vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निधारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
- vii. डिबेंचर/ बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश को शोधन/ देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ड. निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन

I. इक्विटी एवं इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां :

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाजार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु.5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अपुनस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

प्रतिभूतियों में निवेश जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

II. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां :

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाजार अथवा अन्य किसी शेयर बाजार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु.5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियां :

गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां :

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए बैट्रिक्स पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है। परिपक्वता पर प्रतिफल को अनकटीकरण की जोखिम हेतु बढ़ाया अथवा घटाया जाता है।

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां:

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/ कॉल आँप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां :

कॉल आँप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट आँप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों आँप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/ कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/ अंशतः/ बैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर :

i. डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/ गैर कारोबारी इकिवटी हेतु लागू बाजार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।

ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii) अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां :

अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बट्टा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बट्टा वाले बोण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बट्टा काट कर किया जाता है।

III. सरकारी प्रतिभूतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को एस्पी द्वारा पंजीकृत संस्था क्रिसिल द्वारा जारी मूल्यों पर किया जाता है। जिन प्रतिभूतियों का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, उनके लिए प्रतिफल वक्र रेखा का प्रयोग किया जाता है।

IV. अनोधृत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत, यदि कोई हो, अंतर्निहित इकिवटी शेयर के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा कर किया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय

प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहाँ बारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहाँ देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इकिवटी, गैर कारोबारी/ असूचीबद्ध है तो ऐसे बारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

V. अधिकार पात्रता :

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बट्टा काट कर, जहाँ लागू हो, किया जाता है।

VI. मुद्रा बाजार की लिखतें :

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VII. अनोधित / कम कारोबारी अधिमान शेयर :

- i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- ii. बीबीबी (-) एवं उससे उच्च श्रेणी वाली निवेश श्रेणी का मूल्यांकन, उपर्युक्त मूल्य बढ़ाकर, क्रिसिल मैट्रिक्स/ अन्य दर्जा निर्धारण एजेन्सियों द्वारा प्रदान किए गए दर्जे पर परिवर्तन पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है।
- iii. 'अदर्जाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।
- iv. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिब्बेचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- v. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बट्टा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% बट्टा लागू होता है।

vi. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता हो तो

प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर नीचे दिए गए अनुसार बट्टा लागू होता है।

vii. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

च. प्रावधान एवं मूल्यहास :

I. निवेश के मूल्य में मूल्यहास :

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुनः जमा कर दी जाती है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

- आस्ति को गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी "आस्तियां" जिनका ब्याज/ मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/ किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।
- एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।
- लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी):

- कारोबारी डिक्विटी शेयर :** कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी दिन (स्पॉट मूल्य) पर यथा आईएसटी तिथि पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार मूल्य पर किया जाता है।
- गैर कारोबारी/ कम कारोबारी/ गैर सूचीबद्ध डिक्विटी शेयर :** मोजन होने वाली योजनाओं के मामले में (अर्थात् आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के अंदर परिपक्व होने

(वाली योजनाएँ) प्रतिभूतियों की आईएसटी से संबंधित तिथि निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त अंतरण मूल्य पर प्रभावित होगी :

(क) यदि ऐसी इकिवटी हेतु, यथा आईएसटी तिथि, पिछले 90 दिनों के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में बाजार भाव उपलब्ध हो तो ऐसे बाजार भाव में से 25% अनकदीकरण हेतु बट्टा काट कर किया जाता है।

(ख) अनोदृत इकिवटी समय-समय पर पूर्ववर्ती न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार मूल्यांकित की जाती है। अनोदृत इकिवटी का आईएसटी उचित मूल्य में से 50% बट्टा काट कर किया जाता है।

(ग) अन्य योजनाओं से निविदा बुलाकर आईएसटी, सबसे अधिक बोली पर प्रभावित होता है।

(घ) यदि कोई भी योजना, लेने हेतु तैयार नहीं हो तो, प्रतिभूति ₹ 0.01 प्रति शेयर पर हस्तांतरित हो जाती है।

मोचित न होने वाली योजनाओं की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण ₹ 0.01 प्रति शेयर पर डीआरएफ में होता है।

iii. डिबेंचर / बॉण्ड :

(क) कारोबारी डिबेंचर एवं बॉण्डों का आईएसटी, नीति ड II(अ) के अनुसार प्रभावित होता है।

(ख) कम कारोबारी/ गैर-कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों एवं अंतरणीय नोट नीति ड II(आ) के अनुसार प्रभावित होते हैं।

(ग) गैर-निष्यादी प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण ₹ 1.00 प्रति प्रतिभूति की दर पर किया जाता है।

iv. सरकारी प्रतिभूतियों के आईएसटी, नीति ड(III) के अनुसार प्रभावित होते हैं।

v. अन्य निवेश - अन्य निवेशों/आस्तियों का आईएसटी ऐसे निवेशों की अंतर्निहित लागत पर प्रभावित होता है।

vi. योजनाओं की उधार निधियां, यदि कोई हों, अनुमोदित दरों पर ब्याज का भुगतान आंतरिक रूप से करती हैं।

ज. अभिरक्षक :

भारतीय स्टॉक धारिता निगम (एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा उसके शुल्क प्रोब्लम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

झ. अचल आस्तियां :

i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है।

है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

- ii. मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है:-

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार,	
सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%
पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।	

- iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि आठ वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।
- iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

अ. प्रारक्षित निधि :

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25 ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो एसयूयूटीआई के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क गठन :

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/ पूँजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है।

यह निधि निम्नलिखित से बनी है:-

i. अंशदान से:

- 1 जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।
- अन्य सभी योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।

ii. वीईसीएयूएस III से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ख. परिचालन :

- i. निधि की आय एवं व्ययों को प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii. निवेश उपरोक्त ड में बताई गई नीति के अनुसार दर्शाए जाते हैं।
- iii. निधि मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/ सह-प्रवर्तित कंपनी की इकिवटी शेयरों में निवेश करती है।
- iv. योजना के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात्, लेखा वर्ष के अंत में अवशेष आस्तिगां बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/ प्रावधानों के ग्राति समायोजित किया जाता है और परिणामतः शुद्ध अधिशेष/ कमी को डीआरएफ में अंतरित किया जाता है। समूहित योजनाओं के मामले में यह प्रथा अंतिम योजना के समाप्त होने के दो वर्ष के पश्चात् अपनाई जाती है। यदि भविष्य में इस योजना के ग्राति कोई दावा होता है तो वह डीआरएफ को प्रभारित किया जाता है।
- ग. मोचन पश्चात् योजनाओं का शेष, जहां महत्वपूर्ण इकिवटी भारत सरकार की तरफ से धारित है, विधिवत् आस्तियों एवं देयताओं का मिलान कर डीआरएफ में दर्शाया जाता है।

घ. अन्य निधियाँ :-

वर्तमान में हमारे पास दो निधियाँ अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना निधि, कर्मचारी कल्याण निधि है जिनकी स्थापना विकास प्रारक्षित निधि से प्राप्त अंशदान के जरिए की गई है।

ट. आय वितरण :

- i. यूनिट पूँजी पर आय वितरण का प्रावधान, योजना के प्रावधानों/ प्रशासक द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनियोग उपकरण के प्रशासक
31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

रपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉर्ड	
	31.03.2010	31.03.2009
देयताएं		
पूँजी.....	'क'	59,347.01
प्रारक्षित निधि और अधिशेष.....	'ख'	173,967.45
चालू देयताएं एवं प्रावधान.....	'ग'	217,176.85
विकास प्रारक्षित निधि का आकार		521,492.42
विकास प्रारक्षित निधि की चालू देयताएं एवं प्रावधान		39,010.36
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोर्चन उपरान्त योजनाओं की देयताएं		76,588.88
विकास प्रारक्षित निधि.....	'घ'	637,091.66
अन्य फंडों का आकार		110,483.36
अन्य फंडों की चालू देयताएं एवं प्रावधान		123,874.53
अन्य फंड.....	'इ'	234,357.89
कुल देयताएं		1,262,593.85
आस्तियां		1,290,418.85
निवेश.....	'ब'	375,587.55
जमाराज़ियां.....	'छ'	-
चालू आस्तियां.....	'ज'	7,694.74
निश्चित आस्तियां.....	'झ'	8,062.01
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां		560,502.78
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोर्चन उपरान्त योजनाओं की आस्तियां		76,588.88
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां.....	'अ'	637,091.66
अन्य फंडों की आस्तियां.....	'ट'	234,357.89
कुल आस्तियां		1,262,593.85
लेखा टिप्पणियां.....	'ठ'	1,290,418.85

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भारीदार

मुख्य
वित्तीय अधिकारी
दिनांक: 17 जून, 2010

इन्द्रायाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन. पृष्ठीराज
प्रशासक

**भारतीय यनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि हेतु राजस्व लेखा**

रु. लाख में

		यनिट योजना 64 बॉर्ड	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
लागत		16,755.17	15,024.20
ब्याज		970.62	8,448.12
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की विक्री/प्रोचन पर लाभ		3,874.27	2,972.80
अन्य आय		445.87	5,173.87
पिछली अवधि के समायोजन - आय		157.39	181.00
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्यांकित संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनर्यांकित वर्ष के दौरान पुनर्यांकित निवेश की लागत		-	0.12
मिलान की बकाया मर्दों हेतु प्रावधान, पुनर्यांकित		2.08	18.80
		151.08	4,246.60
उप योग (क)		22,356.48	36,065.80
घटाएँ: निवेश की लागत, पुनर्यांकित		-	642.81
घटाएँ: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान		39.68	125.71
घटाएँ: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियां हेतु प्रावधान		110.76	114.34
घटाएँ: मिलान में पुरानी मर्दों हेतु प्रावधान		-	1,250.80
उप योग (ख)		150.44	2,133.81
योग (क+ख)		22,206.04	33,931.99
स्वयं			
वर्ष हेतु बोर्डयाकों को प्रदत्त किया गया ब्याज		-	8,429.75
कार्यालय अय		752.60	1,888.00
प्रचार व्यय		0.19	203.91
अभियान, रजिस्ट्रर और बैंक प्रभार		281.04	409.41
लेखापरीक्षक की फीस		9.33	13.05
एम्प्रेंटी फीस		859.49	936.32
स्वाइ आस्ट्रियों में मूल्यांकन		185.54	227.21
उप योग(क)		2,088.19	12,107.75
जोड़ें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिवान पर हानि		2,554.66	2,616.89
उप योग(ख)		2,554.66	2,616.89
योग (क)+(ख)		4,642.85	14,724.64
व्यय से आय की अधिकता		17,563.19	19,207.35
योग		22,206.04	33,931.99
राजस्व विनियोजन लेखा			
व्यय से आधिक आय		17,563.19	19,207.35
जोड़ें/(घटाएँ)पिछली अवधि के समायोजन		7,431.78	(175,101.12)
योग		24,994.97	(155,893.77)
शेष, सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित		24,994.97	(155,893.77)
योग		24,994.97	(155,893.77)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

समायोजित के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय

भागीदार

मुद्र

दिनांक: 17 जून, 2010

इम्याजुर रहमान

मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज

प्रशासक

भारतीय यूनिट द्रष्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

		रु. लाख में	
		यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
		31.03.2010	31.03.2009
तालिका 'क'			
पूँजी			
बाण्ड पूँजी			
TOTAL		59,347.01	59,347.01
तालिका 'ख'			
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष			
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार रोप (यूपीआर)		(279,463.83)	(279,472.71)
वर्ष के दौरान संग्रहीत(प्रवत) प्रीमियम (शुद्ध)		(0.01)	8.88
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि	योग	(279,463.84)	(279,463.83)
पिछले तुलन पत्र के अनुसार रोप (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)		10,458.35	16,511.31
घटाएः स्थाई संपत्तियों पर मूल्यांकन में अंतरित		386.27	484.63
घटाएः सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित		4,698.64	5,568.33
सामान्य प्रारक्षित निधि	योग	5,373.44	10,458.35
<u>यूनिट पूँजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि</u>			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार रोप		418,364.23	568,689.67
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित		24,994.97	(155,893.77)
स्थाई संपत्तिया पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित		4,698.64	5,568.33
उप योग(क)	448,057.83	418,364.23	
कुल योग	173,967.45	149,358.75	
तालिका 'ग'			
चालू देयताएं और प्रावधान			
चालू देयताएं			
विविद लेनदार			
संवीकारित आवेदन राशि		136,261.92	152,636.85
अदावी आय/लाभांश वितरण		61.17	61.17
		75,305.51	35,432.10
योग (क)	211,628.59	188,130.12	
प्रावधान			
संविध समझी गई बकाया आय के लिए प्रावधान		216.51	334.22
संदिध निवेशों एवं जमाराशियों के लिए प्रावधान		3,524.50	3,413.74
मिलान की बकाया मर्दों के लिए प्रावधान		1,782.37	10,007.95
आय विरपण हेतु प्रावधान		24.86	24.86
योग (ख)	5,548.25	13,780.77	
योग (क)+(ख)	217,176.85	201,910.89	
तालिका 'घ'			
विकास प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार रोप		467,330.60	463,823.26
विलयित निधियों के शेष का अंतरण		(66.04)	28,101.14
-विक्री /प्रोचन पर प्रीमियम		56,173.47	57,376.45
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/व्याज		523,438.03	549,300.85
उप योग(क)	1,945.61	81,970.26	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग		1,945.61	81,970.26
उप योग 'ख'	521,492.42	467,330.60	
विकास प्रारक्षित निधि का आकार उप योग ग =क-ख			
चालू देयताएं और प्रावधान			
विविद लेनदार		4,089.20	4,490.67
अदावी आय/लाभांश वितरण		24,312.57	26,657.72
भारत सकार द्वारा प्राप्त अनुदान			2,174.97
संदिध आय हेतु प्रावधान		162.82	165.29
संदिध आय एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान		10,441.68	13,145.39
मिलान में बकाया मर्दों हेतु प्रावधान		4.09	1,538.26
डीआरएफ की चालू देयताएं एवं प्रावधान-उप योग 'घ'		39,010.36	48,172.30
योग X = (ग+घ)	560,502.78	515,502.90	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 खण्ड	
	31.03.2010	31.03.2009
तालिका 'घ'(जारी) डीआरएफ के अंतर्गत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं मोचन उपरांत फ़ैट पिछले तुलन पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि वर्ष के दौरान प्राप्त आय/व्याज निधि का उपयोग	28,791.43 3,941.78 273.13	23,202.42 5,799.98 210.97
उप योग (अ)	32,460.08	28,791.43
चालू देयताएं और प्रावधान विविद लेनदार भारत सरकार को देय संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	6.54 43,743.18 379.06	3.55 43,743.18 379.06
उप योग (आ)	44,128.78	44,125.79
डीआरएफ के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं कुल Y= अ+आ	76,588.88	72,917.22
विकास प्रारक्षित निधि Z = X + Y	637,091.66	588,420.12
तालिका 'इ'		
अन्य निधियाँ		
(क) स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष वर्ष के दौरान शुद्ध आय वर्ष के दौरान उपयोग	23,092.81 754.59 81.17	21,559.06 1,588.00 54.25
निधि का आकार - उप योग (क)	23,766.23	23,092.81
चालू देयताएं और प्रावधान विविद लेनदार	0.44	0.20
उप योग (आ)	0.44	0.20
योग 'क' = (अ+आ)	23,766.67	23,093.01
(ख) आसित पुनः संरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष वर्ष के दौरान अर्जित आय निधि का उपयोग	82,798.96 4,233.96 315.79	76,326.57 6,772.24 299.85
निधि का आकार - उप योग (अ)	86,717.13	82,798.96
चालू देयताएं और प्रावधान विविद लेनदार	62.32	1,061.54
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान मिलान की बकाया धर्म हेतु प्रावधान	7,815.29 115,996.48	11,084.70 173,343.88
उप योग (आ)	123,874.09	185,490.12
योग 'ख' = (अ+आ)	210,591.22	268,289.08
अन्य निधियों का आकार - योग I	110,483.36	105,891.77
अन्य निधियों की चालू देयताएं एवं प्रावधान - योग II	123,874.53	185,490.32
अन्य निधियों कुल(क+ख)	234,357.89	291,382.09

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ (जारी)

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉर्ड	
	31.03.2010	31.03.2009
तालिका 'अ'		
निवेश		
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ/प्रमाणपत्र		
डिवेंचर और बॉण्ड	11,830.15	18,549.92
अधिमान शेयर	1,380.04	1,435.42
इक्विटी शेयर	334,541.44	338,143.96
म्हूचुअल फंड की यूनिट	27,635.92	27,635.92
योग	375,387.55	385,765.22
उद्धृत (लागत पर)	290,399.48	291,181.63
अनोद्धृत (लागत पर)	84,988.06	94,583.59
उद्धृत (बाजार मूल्य)	375,387.54	385,765.22
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	1,529,258.18	888,908.89
	43,270.84	49,699.72
योग ('ख' - 'क')	1,572,529.02	938,608.61
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहार)		
योग ('ख' - 'क')	1,197,141.48	552,843.39
तालिका 'ख'		
जमा राशियाँ		
बैंकों में जमाराशियाँ		3,938.57
अन्य जमाराशियाँ		
योग		3,938.57
तालिका 'ज'		
चालू आस्तियाँ		
बैंकों में चालू खाता शेयर	2,897.90	4,010.61
विविध देनदार	3,742.99	3,702.86
निवेशों की विक्री-संविदाएँ		
बकाया और प्रोजूत आय	585.99	954.84
अग्रिय, जमा राशियाँ अदि	467.87	318.41
शेयर/डिवेंचर आवेदन राशि		
भारत सरकार को देय		
योग	7,694.74	8,986.72

भारतीय यूनिट फ्लट के विनिर्दिष्ट उपकरण के प्रशासक
31 मार्च, 2010 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ (जारी)

रु. लाख में

	यूनिट नंबर: 64 बॉर्ड	
	31.03.2010	31.03.2009
विकास प्रारंभित निधि की आस्तियां		
इकाइयी शेयर/अधिकारी शेयर	145,488.31	150,686.28
दिवेंचर एवं बॉर्ड	37.05	47.71
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	48,950.86	83,214.80
बैंक के पास जमाराशियां	133,000.00	210,596.83
अन्य जमाराशियां	43,929.29	2,681.69
भारत सरकार के विशेष बॉर्ड	300.00	300.00
लागत पर निवेश	371,705.51	447,527.31
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	184,746.59	53,564.50
बकाया और प्रोदूत आय	3,992.81	13,038.25
शेयर/डिवेंचर अवैदेन राशि	57.87	1,372.83
बैंक शेयर		
निवेश की विक्री संविधान		
वृद्धयोग (रु.)	188,797.27	67,975.58
विकास प्रारंभित निधि की आस्तियां कुल योग रु. = रु+व्य	564,602.78	515,502.89
तालिका 'अ' (जारी)		
डीआरएफ के अंतर्गत माध्यन इयरात योजनाओं की आस्तियां		
मोद्यन उपरात निधि		
इकाइयी शेयर	34,290.48	34,290.48
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	13,714.01	19,184.61
बैंक के पास जमाराशियां	5,677.81	11,185.97
अन्य जमाराशियां		
लागत पर निवेश	उप योग(अ)	54,661.06
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	22,906.58	18,256.16
बकाया और प्रोदूत आय		
उप योग (आ)	22,906.58	18,256.16
डीआरएफ के अंतर्गत मोद्यन उपरात योजनाओं की आस्तियां क्यू-अ+आ	76,588.88	72,917.22
विकास प्रारंभित निधि की कुल आस्तियां आर =पी+क्यू	637,091.66	588,420.11
तालिका 'ट'		
अन्य निधियों की आस्तियां		
(क) कर्मचारी कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) की आस्तियां		
कैंप्रीय एवं एज्य सरकार की प्रतिमूलिया/प्रमाणपत्र		1,500.00
इकाइयी शेयर	500.00	500.00
दिवेंचर एवं बॉर्ड		535.54
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	3,939.77	3,939.76
अन्य जमाराशियां/बैंक के साथ जमाराशियां	3,890.55	1,031.71
लागत पर निवेश	उप योग (अ)	7,507.01
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोदूत आय		34.25
विविध देनदार	15,436.33	15,551.74
उप योग (आ)	15,436.33	15,585.99
योग क = (अ+आ)	23,766.65	23,093.00
(ख) आस्ति पुनर्मोद्यन फंड की आस्तियां (एआरएफ)		
दिवेंचर एवं बॉर्ड	5,397.66	11,803.38
इकाइयी शेयर	20.67	23.99
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	23,124.40	38,391.58
सावधि रुपय	840.01	984.89
अन्य जमाराशियां/बैंक के साथ जमाराशियां	12,807.48	2,826.56
लागत पर निवेश	उप योग (अ)	54,630.48
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोदूत आय	7,812.75	11,007.90
विविध देनदार	160,588.27	203,250.79
उप योग (आ)	168,401.02	214,258.69
योग ख= (अ+आ)	210,591.24	268,289.09
अन्य फंडों की आस्तियां (का+ख)	234,357.89	291,382.09

भारतीय यूनिट दस्त के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 का तुलना पर

	उपराज्य बोर्ड	इआईपी 91			एआईपी 96 (IV)		
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
देवताएँ							
पूजी	'क'						
प्रारक्षित निषि एवं अधिशेष	'ख'						
चालू देवताएँ और प्राच्यदर्श	'ग'						
कुल देवताएँ		120,643.60	420,136.29	3,485.39	3,913.57	7,399.43	7,399.75
आस्तिनये							
निवेश							
जन आस्तिनये							
चालू आस्तिनये							
कुल आस्तिनये		120,643.60	420,136.29	3,485.39	3,913.57	7,399.43	7,399.75
लेखा इत्यागियाँ							
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अधिक्ष भाग है।							
इसे समाजिके समाजन प्रतिवेदन के अनुसार							
कुल अशोक भारतीय एवं कंपनी							
सचनदी लेखाकार							

लेखा इत्यागियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अधिक्ष भाग है।

इसे समाजिके समाजन प्रतिवेदन के अनुसार

कुल अशोक भारतीय एवं कंपनी

सचनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
लालिता

मुख्य

इत्यागुर हमन

के. एन पृष्ठीराज

प्रशासक

मुख्य
दिनांक : 17 जून, 2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनियित उपकरण के प्रशासनक

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

	एआएस बॉग्ड		ईजाइंपी 91		एआइपी 96 (IV)	
	चार्ट बर्ड	पिछला बर्ड	चार्ट बर्ड	पिछला बर्ड	चार्ट बर्ड	पिछला बर्ड
आवास						
लापारा	2,997.79	2,756.97	505.90	249.54	193.33	849.22
ब्लाज	6,370.29	33,958.91	2,592.27	5.80	67.20	98.06
आवास कोरेजन कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोहन पर लाभ	811.91	7.74	(451.97)	0.09	-	24.52
अन्य आवास	415.75	0.91	4.97	44.62	-	37.73
पिछली अवधि के समायोजन - आवास	184.62	1,050.37	381.16	79.96	28.55	568.43
पिछले बर्ष की संदिग्ध आवास के लिए किया गया प्रावधान, पुरानाकित संदिग्ध निवेशों एवं जमाताशियों के प्रति प्रावधान, पुरानकित निवेशों के भूत्य में पूर्णहस्त के लिए प्रावधान, पुरानकित मिलान की बकाया मर्दे हेतु प्रावधान, पुरानकित	-	-	-	-	0.03	0.01
उपयोग (कर.)	10,781.27	40,716.31	485.51	386.79	319.97	1,479.91
घटाएँ- सारिधर समझी है आवास के लिए प्रावधान	5.66	5.38	-	-	-	-
घटाएँ- संदिग्ध निवेशों एवं जमाताशियों के प्रति प्रावधान	38.74	-	6.68	56.14	-	97.13
कोड़े-मिलान की बकाया मर्दे हेतु प्रावधान	-	294.91	70.74	-	58.62	-
उपयोग (ख.)	44.40	300.29	77.42	56.14	58.62	97.13
योग (कर.ख.)	10,736.87	40,416.02	408.09	340.65	261.35	1,382.78
छव						
लापारा वितरण						
कार्यालय छव	34,233.52	-	-	-	-	-
अभिल्या, रजिस्ट्रा और बैंक प्रभार	328.12	716.81	.92	1.66	2.05	(4.58)
लेखा-फोरेस्टको की फोस	126.17	941.38	1.87	3.94	15.95	16.03
एएमसी फीस	1.22	-	8.28	0.02	0.03	0.09
पिछली अवधि के छव	133.78	1,273.73	9.44	8.99	18.42	17.64
उपयोग (कर.)	589.29	37,347.28	2.17	17.84	37.30	426.66
जोड़े : अंतर योजना कारोबार के निवेशों की बिक्री पर हानि	8,580.64	1,766.54	380.52	-	2.89	419.45
जोड़े :अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिवन्ध पर हानि	8,580.64	1,766.54	380.52	-	2.89	419.45
उपयोग (ख.)	9,169.93	39,113.82	382.69	17.84	40.19	846.11
योग (कर.) + (ख.)	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81	221.16	536.67
छव से आवास की अधिकता	10,736.87	40,416.02	408.09	340.65	261.35	1,382.78
योग	10,736.87	40,416.02	408.09	340.65	261.35	1,382.78

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा

राजस्व बांध		दीजाइर्गी 91		एकाई 96 (IV)	
		पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा					
ब्यासे आव की अधिकता	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81	221.16
दोगा	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81	221.16
वर्ष हेतु आव विवरण					
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81	221.16
दोगा	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81	221.16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अधिक भाग है।

हमारे समानिश के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी लेखकार

के, एन पृष्ठीय
इस्तराजुर रहनान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पुष्ट

दिनांक : 17 जून, 2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए तेबों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए तेबों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

सरकारी लाभ में

	एआएस बांध	उआरपी 91			एआरपी 96 (IV)		
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
तालिका 'क'							
पुर्णी विविद लेनदेन विविद प्रावधान							
बोर्ड एंजी		497,549.62					
योग	497,549.62						
तालिका 'ख'							
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष							
समाचार प्रारक्षित निधि							
पिछले उल्लंघन के अनुसार शेष	(127,271.88)	(128,586.19)	2,398.62	2,074.27	4,399.07	3,865.49	
जोड़े: विलायित बोजनाओं के सामाचार प्रारक्षित निधि का अंतरण	1,566.94		1,302.20	25.40	322.81	221.16	836.67
जोड़े: रजस्व तेजि से अंतरित शेष	(384.26)		12.11	(1.46)	(1.46)	(2.62)	(3.09)
जोड़े: बिक्री/पुनर्खरिचय/मोचन पर प्रतिस्थित							
योग	(126,089.20)	(127,271.88)	2,415.56	2,395.82	4,617.61	4,399.07	
तालिका 'ग'							
चालू देवताएँ और प्रावधान							
चालू देवताएँ	136,395.89	95.39	0.11	0.37	3.57	4.01	
विविद लेनदार	109,212.25	48,034.24	530.73	552.56	1,250.58	1,410.59	
अदावी काव्य/ब्लाज का वितरण	245,608.14	48,129.63	530.84	552.93	1,264.15	1,414.30	
प्रावधान							
सारिधृ आव हेतु प्रावधान	52.30	47.56	4.02	48.64	116.97	116.97	
सारिधृ निवेशों पर जमाराशिया हेतु प्रावधान	1,017.59	1,163.47	530.97	905.44	1,410.69	1,439.24	
निवेशों के पूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	54.39	516.67	0.01	0.01	10.93	0.03	29.54
मिलान की बकाया मध्ये के लिए प्रावधान	0.37	1.22					
आय वितणे हेतु प्रावधान	1,124.65	1,728.92	535.00	965.02	1,527.66	1,585.78	
योग योग (ख)	246,732.79	49,858.55	1,065.84	1,517.95	2,761.61	3,050.68	
योग(क+ख)							

भारतीय अनिय दात्त के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

प्रारंभिक १५ (IV)		इनाइग ११		प्रारंभिक १४ (III)	
		३१.०३.२०१०	३१.०३.२००९	३१.०३.२०१०	३१.०३.२००९
तालिका 'ब'	निवेश	निवेश (लागत या बढ़ी हुई लागत पर) के द्वारा एवं उज्ज्ञ सरकार की प्रतिष्ठात्या/प्रमाणपत्र हिंदूर एवं बैंड अधिगत शेयर इविन्टी शेयर स्ट्रुक्टल फंड की शेयरों	38,183.43 16,275.93 200.00 46,115.32 16,066.22	79,767.71 41,544.57 219.26 46,617.24 26,956.92	0.88 - - 0.01 -
तालिका 'च'	निवेश	चोएग उद्देश (लागत पर) अनेकृत (लागत पर) उद्देश (बाजार मूल्य) अनेकृत (भूत्याकान पर)	111,840.90 41,877.32 69,963.57 111,840.89 252,098.12 86,976.96 319,075.08 207,234.19	195,105.70 41,381.31 153,224.39 195,105.70 155,901.89 140,659.49 296,561.38 101,455.68	0.01 - 0.01 0.01 - - - 0.01
तालिका 'च'	निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास) (छ.क.)	निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास) (छ.क.)	44,489.91 1,562.28 46,052.19	577.24 577.24	1,133.59 1,133.59
तालिका 'च'	जमा राशियाँ बैंक में जमा राशियाँ अन्य जमा राशियाँ	दोष	6,550.39 4,349.49 902.82	149,970.70 24,810.92 4,196.78	3.70 2,821.53 82.91
तालिका 'च'	चाल आतित्या बैंकों में चाल खाता शेष विविध देनदार निवेशों की बिक्री-संविदाएं बकाया और प्रदूष आय	चोएग	8,802.70	2,905.14	3,738.70
		चोएग	8,802.70	178,976.40	6,265.84

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसारण में, एसयूयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।
 2. भारत सरकार ने यू एस 64 के विनिर्दिष्ट आश्वासित मूल्य पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा तथा आश्वासित आय वाली योजनाओं हेतु वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) तथा प्रचलित पुनर्खरीद/आश्वासित मूल्य के अंतर हेतु मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस कमी को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के अंतर्गत "भारत सरकार के विशेष पैकेज से निधियों का आगमन" के रूप में हिसाब में लिया गया है और न्यून राशि के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि को यूएस 64 के मामले में "विविध लेनदार" के रूप में तथा अन्य योजनाओं हेतु न्यून राशि को "सामान्य प्रारक्षित" के अंतर्गत दर्शाते हुए डीआरएफ मे रखा गया है जिसमें सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को "भारत सरकार से प्राप्त अनुदान" के रूप में लेखे में लिया गया है।
 3. सीजीजीएफ -86 के मामले में यूनिटधारकों की यूनिटों का प्रतिनिधित्व करते हुए पुनर्खरीद के भुगतान के रूप में रु. 32.60 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 34.53 करोड़) की राशि का हिसाब किया गया है, परंतु पूर्वसमाप्ति की तिथि तक परिपक्व हो जाने पर भी यूनिटधारक द्वारा दावा नहीं किया गया है।
 4. विभिन्न योजनाओं के आवेदन राशि एवं अन्य आपत्ति संबंधी मामलों के तहत हिसाब की गई राशि रु. 2,93 (पिछले वर्ष 3.08 करोड़) करोड़ है।
 5. क. रु. 15.80 करोड़(पिछले वर्ष में 16.54 करोड़) की लागत के असूचीबद्ध/निष्क्रिय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है क्योंकि "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार उक्त अधिमान शेयरों का अवशिष्ट मूल्य नगण्य है।
- ख. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-
- i) इक्विटी शेयरों में रु. 9.18 करोड़(लागत) जिसमें से रु. 0.24 करोड़ के अतिरिक्त शेयर जो अभिरक्षक के पास उपस्थित हैं को कंपनी/प्रायोजक को वापस करना है तथा रु. 8.94 करोड़ की इक्विटी शेयरों की बिक्री द्वारा बहियों में दिखाई गई है परंतु जिसे अभिरक्षकों ने जारी नहीं किया है।
 - (ii) अधिमान शेयरों में रु. 0.08 करोड़(लागत), जिसके संबंध में कंपनियां जवाब नहीं दे रही हैं/जो नकदी की स्थिति में हैं।

iii) ऋण पत्रों और बॉण्डों के अंकित मूल्य में ₹. 285.48 करोड़ का अंतर है। इसमें से ₹. 176.28 करोड़ की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की गई है तथा ₹. 57.86 करोड़ की चुकौती हेतु कंपनी द्वारा पुष्टि/पत्र उपलब्ध है। साथ ही, ₹. 33.15 करोड़ हेतु पुनर्संरचना के पश्चात् कंपनी ने जमानत जारी नहीं की है तथा ₹. 4.64 करोड़ के लिए मोचन राशि प्राप्त नहीं हुई है। ₹. 13.55 करोड़ के अन्य अंतर मोचन राशि के प्राप्त न होने, मोचनराशि को बहियों में बाद में लेखे में लिए जाने अथवा कंपनियों के रुग्ण/परिसमाप्त इत्यादि होने के कारण है।

6. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ₹.0.057 करोड़ मूल्य वाले शेयर (पिछले वर्ष ₹.1.68 करोड़) जो कि विशेष न्यायालय (अपकृत्य) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित हैं। हालांकि, ट्रस्ट द्वारा इन शेयरों के हस्तांतरण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है किन्तु मामला अभी भी स्टॉक एक्सचेंज/अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित है; यद्यपि, इन सभी मामलों के लिए मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी दायर की गई है।
- पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा (3) के अंतर्गत समय-समय पर दिए गए गैर-जमानती अग्रिम;
- इक्विटी एवं ऋण जहां कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं;
- iv) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।

7. कंपनियां, जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूयूटीआई के पास हैं, निम्नानुसार हैं।

कंपनी का नाम	एसयूयूटीआई धारिता %
यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि.	100%
यूटीआई इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि.	89.33%
एक्सिस बैंक लि.	24.00%
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि.	100%

- ट्रस्ट को पिछले वर्षों से संबंधित धनकर अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसमें ₹.3.84 करोड़ की मांग की गई है। इस के विरुद्ध पूर्ववर्ती यूटीआई ने धन कर आयुक्त के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है जिसे आयुक्त ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद विभाग द्वारा की गई अपील को आयकर अपील अधिकरण ने खारिज़ कर दिया क्योंकि धन कर के प्राधिकारियों ने उनके विभाग की अनुमति (जो कि अनिवार्य है) लिए बिना अपील प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात्, धन कर के प्राधिकारियों ने अनुमति प्राप्त कर ली है, हालांकि, अपीलों को पुनः स्थापित करने हेतु हमें अथवा एडवोकेट को कोई नई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- एसयूयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है जो कि एसयूयूटीआई की 100% अनुषंगी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा कार्य की व्यापकता एवं तत्संबंधी सेवाओं के संबंध में एसयूयूटीआई के साथ औपचारिक तौर पर करार किया जाना बाकी है।
- क. एसयूयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न संपत्तियों के प्रलेखीकरण संबंधी औपचारिकताएं को पूरा किया जा रहा है क्योंकि बिक्री एक निरंतर प्रक्रिया है।

- ख. एसयूयूटीआई ने विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर सम्पत्तियाँ दी हैं, हालांकि, पट्टेदार के साथ औपचारिक तौर पर करार किए जाने अभी भी बाकी हैं। विभिन्न सह-संस्थाओं/सहायक कंपनियों तथा अन्य पार्टियों से किराया/अन्य व्यय अर्जित एवं वसूल होने हैं जिसके लिए ब्योरे एकत्र किए जा रहे हैं।
- ग. वर्ष के दौरान एसयूयूटीआई ने विभिन्न संपत्तियों की बिक्री की, कुछ मामलों में संपत्तियों के हस्तांतरण/बिक्री के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी भी पूरी की जानी हैं क्योंकि बिक्री एक निरंतर प्रक्रिया है।
12. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 1.57 करोड़ के मामलों के लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।
13. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

इम्प्रेयाज्जुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते अशोक भारतीय एवं संघर्ष
सनदी लेखाकार

के एन पृथ्वीराज
प्रशासक

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक : 17 जून, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2010, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) की 2 योजनाएं अर्थात् उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III), के संलग्न तुलन पत्र एवं साथ ही संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्ठादान करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था।

उपरोक्त उत्तिष्ठित हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :

 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2010 योजनाओं की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे, वीईसीएयूएस-I एवं वीईसीएयूएस-III के मामले में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए हुई आय की व्यव से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16/08/2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

उद्यम पूंजी यूनिट योजना

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखा निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहाँ अन्यथा बताया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

2. आय निर्धारण :

- क) लाभांश का निर्धारण उद्भूत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोद्भूत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। निधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- ख) जहाँ वसूली पर सदेह है, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुनः किया जा सकता है और उचंत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचंत आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋणों के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- ग) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सहित) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए दीघावाधि निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ-हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बेचे गए अल्पावधि निवेशों की लागत का निर्धारण, पहले आए पहले गए (फ़िको) के आधार पर बिक्री के लाभ-हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- घ) निधि प्रबंधक द्वारा संदिग्ध समझे जाने वाले निवेशों पर उपचित आय के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जरिए किया जाता है।
- ड) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है तथा निवेशों की लागत के एक अंश की वसूली के रूप में इसे ग्रतिविभित किया जाता है।

3. व्यय :

सभी व्ययों का हिसाब प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है।

4. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि :

अप्राप्त लाभ एवं अस्थाई हानि का निर्धारण निवेशकों की इकिवटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

5. अल्पावधि निवेश :

मूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश, जो कि बिक्री हेतु उपलब्ध है, यथा तुलन पत्र तिथि, शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे को ले जाए गए हैं तथा इन निवेशों से अप्राप्त लाभ को आरक्षित एवं अधिशेष खाता में लिया जाता है।

6. निवेश

- क) निवेशों को निधि प्रबंधक द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।
- ख) निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :

 - i) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है। उद्धृत निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को नहीं अपितु मूल्यांकन तिथि से दो महीने पहले किए जाने पर, नवीनतम अंतिम मूल्य पर उन्हें मूल्यांकित किया जाता है। जहां निधि प्रबंधक, निपटान पर प्रतिबंधों अथवा उनकी नकदीहीनता को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उद्धृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोद्धृत माना जाता है।
 - ii) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमति हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :

 - प्रवर्तित अथवा विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है, यदि निधि प्रबंधक की राय में मूल्य में ह्रास हो तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, मूल्यहासित किया जाता है।
 - लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
 - अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यहासित किया जाता है।
 - तुलन -पत्र से संबंधित वृत्तांत, जिसमें उचित कीमत-कमाई गुणकों के आवेदन-पत्र भी शामिल हैं, को ध्यान में रखा गया है एवं यथा 31 मार्च, 2010 तक अनोद्धृत निवेश के उचित मूल्य के मूल्यांकन हेतु तैयार किए गए विवरण के दिनांक तक उसका हिसाब किया गया है।

- iii) निवेश, जो कि तुलन पत्र की तारीख के अनुरूप सूचीबद्ध हैं और जिन्हें पिछली अवधियों के दौरान बहियों में पूर्णतः बट्टे खाते में डाल दिया गया है को अवलिखित मूल्य पर रखा जाएगा। लाभ, यदि हो, तो उसकी पहचान निवेश की बिक्री के दौरान की जाएगी।
- iv) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण सामान्यतः बकाया मूलधन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं।
- vi) डिबेंचर या तो लागत पर अथवा अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	बोर्डरिंगस्टूड्स I		बोर्डरिंगस्टूड्स III	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
आर्थिक वर्ष				
निवेश.....	385.99	370.85		399.45
जमा राशियाँ	0.88	0.32	7.86	2.83
अन्य चालू आस्तियाँ	3.65	4.99	780.15	944.98
चोग	390.52	376.16	78.01	1,347.26
घटाएँ: चालू देयताएँ एवं प्रावधान	'घ'	2.29	2.86	1,864.74
				963.22
शुद्ध आस्तियाँ	388.23	373.30	(1,076.73)	384.04
परिनिरूपित				
देवताएँ.....				
पूजी	'घ'			1,550.00
प्रशक्ति निष्ठि और अधिग्राम	'घ'			(1,165.96)
अग्राह निवेश प्राप्तिक निधि	'घ'			
चोग	388.23	373.30	(1,076.73)	384.04
लेखा दिपणियाँ	'घ'			
महत्वपूर्ण लेखा नितियों का विवरण लेखे का अधिक भाग है।				
हमारे समाजिक के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार				
कृते असोक भारतीय एवं कंपनी				
सनदी लेखकार				
अशोक भारतीय				
आगीदार				
मुख्य वित्तीय अधिकारी				
इत्यापुर रहमान				
के. एन पृष्ठीजा				
प्रशासक				

दिनांक : 17 जून, 2010

भारतीय युनिट टस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

कृपण लालव में

बीईसीएस I		बीईसीएस III	
	चार्ट वर्ष	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
लाभांश			
ब्याज			
निवेश की निकी पर लाभ			
पिछले वर्ष की संविधान आय के लिए किया गया प्रवधान, पुनर्गठित संविधि निवेश एवं जमानाशिरों के लिए किया गया प्रवधान - पुनर्गठित निवेश के मूल्य में पूलाइस के लिए प्रवधान, पुनर्गठित			
उप योग (क)	10.34	107.97	244.63
घटाएः निवेश हानियां			79.32
घटाएः समिधि समझी गई आय के लिए प्रवधान			
घटाएः निवेश के मूल्य में इस हेतु प्रवधान			74.78
उप योग (ख)			154.10
योग(क-ख)	10.34	107.97	90.53
व्यय			
प्रवधान/कार्यनिषादन शुल्क		0.55	
विधिक एवं व्यवसायिक प्रधान	0.76	1.42	0.46
अन्य व्यय	0.85	-	0.84
पिछली अवधि के समायोजन			2.15
व्यय से अधिक आय की अधिकता			
चार्ट	10.34	107.97	189.71

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

१ अप्रैल, 2009 से ३१ मार्च, २०१० की अवधि हेतु राजस्व विवियोजन लेखा

रुपए लाख में

	वीइसीएयूएस I		वीइसीएयूएस III	
	चालू बर्बं	पिछला बर्बं	चालू बर्बं	पिछला बर्बं
पिछले तुलना-पत्र के अनुसार रोप राजस्व लेखे से अंतरिक रोप				
	356.76	261.71		(1,165.96)
	8.18	95.05		186.56
योग	364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)
पोचन पर प्रदत्त शीर्णियम तुलन - पत्र में तो जाया गया रोप				
	364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)
योग	364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अधिन भाग है।

हमारे समालेश के सहायन प्रतिवेदन के अनुसार

इन्हें अशोक भारतीय एवं कंवरनी
समर्पी लेखाकार

अशोक भारतीय
भारतीय
पुस्तकालय
प्रशासक

राजस्व रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन एक्सरिज
प्रशासक

मुख्य
दिनांक : १७ जून, २०१०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनियोग उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

रपए लाखों में

	वरींसीएट्रस्ट I		वरींसीएट्रस्ट III	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
तालिका 'क'				
मूल्यांकन पर निवेश				
इक्विटी शेयर				
म्यूचुअल फंड की यूनिटें				
दोपा	385.99	370.85	370.85	399.45
सामात पर निवेश				
उद्दृत				
इक्विटी शेयर				
अनोद्धार				
इक्विटी शेयर				
म्यूचुअल फंड की यूनिटें				
कुल योग 'क'	362.70	355.31	2,436.44	2,761.12
उद्दृत (बाजार मूल्य)				
अनोद्धार (मूल्यांकन पर)				
उद्दित मूल्य 'ख'	385.99	370.85	370.85	399.45
निवेशों के मूल्य में मूल्यशुद्धि(मूल्यहस्त)				
योग (ख-क)	23.29	15.54	(2,436.44)	(2,361.67)

भारतीय यूनिट द्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपकरण के प्रशासक
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

31 मार्च, 2010 को समाय वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिका है।

	तालिका 'ख'	वर्दितीयप्रसंग I		वर्दितीयप्रसंग III	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
जमा राशियां					
अन्य जमा राशियां		0.88	0.32	7.86	2.83
तालिका 'न'		0.88	0.32	7.86	2.83
अन्य चालू आक्सियां					
बैंकों में चालू खाता शेष		0.18	0.25	1.10	1.10
विविध देवदार		3.47	4.74	778.92	943.75
बकाया और ग्रे बैंक आय				0.13	0.13
योग		3.65	4.99	780.15	944.98
तालिका 'झ'					
चालू देवदार एवं प्रावधान					
चालू देवदार		2.29	2.86	1,116.84	61.94
विविध लेनदार					
अधिक के हृषि में प्राप्त आय					
उप योग (को)		2.29	2.86	1,116.84	61.94
प्रावधान					
सदिक्य निवेशों हेतु प्रावधान					
सदिक्य आय हेतु प्रावधान					
उप योग (ख)					
योग (को+ख)		2.29	2.86	1,864.74	963.22
तालिका 'ड'					
दूनिट पूर्जी					
प्राथिक रोप					
घटारं वर्त के दोगन मोचित					
योग			1.00		
तालिका 'च'					
प्राथिक निधि और अधिक्षेप					
राजस्व विनियोजन सेवा					
लेखे के अनुसार शेष					
योग		364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)
तालिका 'छ'					
नामांकन भागीदार निधि					
पिछले तुलन पर के अनुसार अप्राप्त अधिकार					
अधिक के दोगन मूल्यवृद्धि (प्रत्यहार)					
योग		364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)
तालिका 'छ'					
नामांकन भागीदार निधि					
पिछले तुलन पर के अनुसार अप्राप्त अधिकार					
अधिक के दोगन मूल्यवृद्धि (प्रत्यहार)					
योग		23.29			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम**उद्यम पूंजी यूनिट योजना****तालिका "ज"****31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां**

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 1 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था।
2. वीईसीएयूएस योजना के अंतर्गत निवेश धारण संयुक्त रूप से या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) एवं आईसीआईसीआई उद्यम पूंजी प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ रखे जाते हैं या एकल रूप से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम पर रखे जाते हैं।
3. वीईसीएयूएस -I योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। योजना को अक्टूबर, 2004 में समाप्त/बंद हो जाना था। हालांकि योजना को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है एवं इस योजना को अभी तक बंद नहीं किया गया है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनःवर्गीकृत कर दिया गया है।

इम्प्रेयाज़ुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के एन पृथ्वीराज
प्रशासक

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक : 17 जून, 2010

सुरुचि बानारे, सहायक उप अध्यक्ष
[विज्ञापन III/4/41/10/अरा.]

**UNIT TRUST OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th January, 2011

F. No. UTI-AM/DOFA/SUUTI-Gazette-2010-11/66.—Auditors' Report

The Administrator,
Specified Undertaking of
Unit Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of Schemes/Funds, i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV, of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as on 31st March 2010 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management and have been prepared by the management, which are centralized at the corporate office, Mumbai, on the basis of financial data/information of various branches and main offices (including those of the erstwhile UTI, since converted into UTI Financial Centers). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Ashok Bhartia & Company
Chartered Accountants

On the basis of the audit indicated herein, and as required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein and subject to our observations referred in annexure attached hereto and Notes to account referred in Schedule 'M', we report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. The Balance Sheet and related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.
- c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'M' and the statement of significant accounting policies:
 - i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 so as to exhibit a true and fair view of affairs of the various Schemes/funds of SUUTI as on 31st March 2010.
 - ii. the said Revenue Accounts of the Schemes / Funds i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV show true and fair view of the Excess of Income over Expenditure .

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants



[Ashok Bhartia]

Place : Mumbai
 Dated : 16.08.2010

AUDITORS REPORT

(annexure, to & forming part of said Report)

1. The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government, vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. The accounts of SUUTI, therefore, relating to the above mentioned Schemes/Funds have been drawn up pursuant to the said Repeal Act.
2. Investments in Debentures and Bonds including term loans (relating to debt portfolio) include a large number of cases sanctioned in earlier years, although the stipulated period has since elapsed but complete security has not been created so far. As per the information made available (a): Out of 33 cases involving Rs. 138.04 crore where security was not created at all, 32 cases involving Rs.137.29 crore were under Recovery/BIFR /Liquidation and (b): out of 33 cases involving Rs.48.21 crore where security was not fully created, 32 cases involving Rs.47.81 crore were under Recovery /BIFR/Liquidation. In the absence of complete data & information, the reliability of the debt portfolio cannot be commented.
3. SUUTI has been selling various properties by giving advertisements in the different newspapers through UTI Infrastructure and Service Limited and sold the same in financial year 2009-10. In our opinion, considering the current market conditions, the policy needs to be revisited, to expedite the selling process, comply with the prescribed guidelines for selling the properties and to get the best price, which may have impact on the Financial Statements and pending for review since long.

**FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants**

[Ashok Bhartia]

Place: Mumbai
Dated: 16.08.2010

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A . Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the "ex-dividend" date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- IV. Unit Scheme 1964 Bonds , which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors , from UTI AMC Pvt. Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax and stamp charges
- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on "ex-right" dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on "ex-bonus" dates.
- vii. Investments in debenture / bonds , loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments**I. Equity and Equity related Securities:****a. Traded Securities**

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value.

II. Debentures , bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:**a. Traded Securities:**

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is

an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) **Rated Debt Securities:**

Debt securities with residual maturity of greater than 182 days:

Investment in securities with residual maturity period of greater than 182 days are valued at Yield to Maturity (YTM) based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked up or down for illiquidity risk.

Debt securities with residual maturity of up to 182 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 182 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

- i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non-traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.
- ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Government Securities:

Investment in Government securities are valued as on the valuation date at the prices released by CRISIL an agency notified by AMFI. For the securities whose prices are not provided by CRISIL the yield curve is used.

IV. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

V. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

VI. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VII. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. Investment grade which are BBB – and above, are valued on Yield to Maturity (YTM) as per the rated given in CRISIL matrix / other rating agencies, with appropriate mark-up.
- iii. ‘Unrated’ and ‘Below investment grade’, preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iv. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- v. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.
- vi. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.
- vii. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

F. Depreciation and Provision:

II. Depreciation in the value of investments:

The aggregate value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year,

the appreciation is credited to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.

III. Provisions for non performing asset: (NPA)

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. The interest and investment provision is made from the date the asset is classified as NPA.
- ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.
- iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

- i. **Traded equity shares:** ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- ii. **Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:**
ISTs in respect of these securities in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by the following methods:
 - a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.

- b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the erstwhile Board of Trustees. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
- c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
- d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01 per share.

Transfer of these securities in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 to DRF per share.

iii. **Debentures/bonds:**

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy E II (a).
 - b) ISTs of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy E II (b).
 - c) Transfer of NPA securities to DRF are effected at Rs.1.00 per security.
- iv. ISTs of Government securities are effected as per policy E (III).
- v. Other investments- ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investment.
- vi. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rate.

H. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets :

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation

reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.

- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	
Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

- Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.
- iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- v. On sale of Fixed Assets , the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the earstwhile Unit Trust of India Act, 1963 the following funds had been created, which, though belonging to the ASUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

Development Reserve Fund (DRF) :

A. Constitution:

The Fund was set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by:-**i. Contributions from**

- schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
- for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees of erstwhile UTI.

ii. Management fees received from VECASU III and accounted as income.**B. Operation:****i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.****ii. Investments are stated as per policy stated in E above.****iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/co-promoted by the Trust.**
iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF.
C. The balances of Post redemption schemes where strategic equity is held on behalf of Government Of India , are shown under DRF, duly matched assets and liabilities.
D. Other Funds:-

Currently we are having two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund.

K. Income Distribution :
i. Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Scheme Provisions/ Administrator.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2010	31.03.2009
LIABILITIES		
CAPITAL.....'A'		59,347.01
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	173,967.45	149,358.75
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	217,176.85	201,910.89
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	521,492.42	467,330.59
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF DRF	39,010.36	43,172.30
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	76,588.88	72,917.22
DEVELOPMENT RESERVE FUND.....'D'	637,091.66	588,420.11
SIZE OF OTHER FUNDS	110,483.36	105,891.77
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	123,874.53	185,490.32
OTHER FUNDS.....'E'	234,357.89	291,382.09
TOTAL LIABILITIES	1,262,593.85	1,290,418.85
ASSETS		
INVESTMENTS.....'F'	375,387.55	385,765.22
DEPOSITS'G'		3,938.57
CURRENT ASSETS.....'H'	7,694.74	8,986.72
FIXED ASSETS.....'I'	8,062.01	11,926.14
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	560,502.78	515,502.89
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	76,588.88	72,917.22
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND.....'J'	637,091.66	588,420.11
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'K'	234,357.89	291,382.09
TOTAL ASSETS	1,262,593.85	1,290,418.85

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
 For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
 Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
Partner

IMTAIYAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
Dated : 17th June, 2010

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2009 TO 31ST MARCH, 2010

Rupees in Lakhs

UNIT SCHEME 64 BONDS		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME		
DIVIDEND	16,755.17	15,024.24
INTEREST	970.62	8,448.15
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	3,874.27	2,972.87
OTHER INCOME	445.87	5,173.89
PRIOR PERIOD INCOME		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	157.39	181.01
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS WRITTEN BACK		0.15
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YEAR	2.08	18.86
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION WRITTEN BACK	151.08	4,246.63
SUB TOTAL (A)	22,356.48	36,065.80
LESS : COST OF INVESTMENTS WRITTEN OFF		642.81
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	39.68	125.77
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS	110.76	114.34
LESS : PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION		1,250.89
SUB TOTAL (B)	150.44	2,133.81
TOTAL (A-B)	22,206.04	33,931.99
EXPENDITURE		
INTEREST PAID TO BONDHOLDERS FOR THE YEAR		8,429.76
OFFICE EXPENSES	752.60	1,888.01
PUBLICITY EXPENSES	0.19	203.91
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	281.04	409.41
AUDITORS' FEES	9.33	13.05
AMC FEES	859.49	936.32
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	185.54	227.29
SUB TOTAL (A)	2,088.19	12,107.75
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	2,554.66	2,616.86
SUB TOTAL (B)	2,554.66	2,616.86
TOTAL (A)+(B)	4,642.85	14,724.64
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	17,563.19	19,207.34
TOTAL	22,206.04	33,931.99
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	17,563.19	19,207.34
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	7,431.78	(175,101.11)
TOTAL	24,994.97	(155,893.77)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	24,994.97	(155,893.77)
TOTAL	24,994.97	(155,893.77)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered AccountantsASHOK BHARTIA
PartnerMumbai
Dated : 17th June, 2010IMTAIYAZUR RAHMAN
Chief Finance OfficerK.N. PRITHVIRAJ
Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

Rupees in Lakhs

		UNIT SCHEME 64 BONDS	
		31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'A'			
CAPITAL			
BOND CAPITAL			59,347.01
TOTAL			59,347.01
SCHEDULE 'B'			
RESERVES AND SURPLUS			
UNIT PREMIUM RESERVE			
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)		(279,463.83)	(279,472.71)
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)		(0.01)	8.88
TOTAL		(279,463.84)	(279,463.83)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE			
BALANCE AS PER LAST BSHEET(REVALUATION RESERVE)		10,458.35	16,511.31
LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS		386.27	484.63
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		4,698.64	5,568.33
TOTAL		6,373.44	10,458.35
GENERAL RESERVE			
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		418,364.23	568,689.67
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		24,994.97	(155,893.77)
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE		4,698.64	5,568.33
SUB TOTAL (a)		448,057.83	418,364.23
GRAND TOTAL		173,957.45	149,358.75
SCHEDULE 'C'			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
CURRENT LIABILITIES			
SUNDY CREDITORS		136,261.92	152,636.85
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		61.17	61.17
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION		75,305.51	35,432.10
TOTAL (A)		211,628.59	188,130.12
PROVISIONS			
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME		216.51	334.22
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		3,524.50	3,413.74
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION		1,782.37	10,007.95
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		24.86	24.86
TOTAL (B)		5,548.25	13,780.77
TOTAL (A)+(B)		217,176.85	201,910.89
SCHEDULE 'D'			
DEVELOPMENT RESERVE FUND			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		467,330.60	463,823.26
TRANSFER OF BALANCES OF MERGED FUNDS			28,101.14
PREMIUM ON SALE/REDEMPTION		(66.04)	
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		56,173.47	57,376.45
SUB TOTAL 'A'		523,438.03	549,300.85
LESS: UTILISATION DURING THE YEAR		1,945.61	81,970.26
SUB TOTAL 'B'		1,945.61	81,970.26
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	SUB TOTAL C=A-B	521,492.42	467,330.60
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
SUNDY CREDITORS		4,089.20	4,490.67
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION		24,312.57	26,657.72
GRANT RECEIVED FROM GOI			2,174.97
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME		162.82	165.29
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		10,441.68	13,145.39
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION		4.09	1,538.26
CURRENT LIAB. AND PROVISION OF DRF-SUB TOTAL 'D'		39,010.36	48,172.30
TOTAL X = (C+D)		560,502.78	515,502.90

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'D' (Contd.)		
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF		
POST REDEMPTION FUND		
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	28,791.43	23,202.12
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	3,941.78	5,799.98
UTILISATION OF FUND	273.13	210.97
SUB TOTAL (a)	32,460.08	28,791.13
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	6.54	3.55
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	43,743.18	43,743.18
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	379.06	379.36
SUB TOTAL (b)	44,128.78	44,125.79
LIAB. OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF TOTAL Y= A+B	76,588.88	72,917.22
DEVELOPMENT RESERVE FUND Z = X + Y	637,091.66	588,420.12
SCHEDULE 'E'		
OTHER FUNDS		
(A) STAFF WELFARE FUND (SWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	23,092.81	21,559.36
NET INCOME DURING THE YEAR	754.59	1,588.30
UTILISATION DURING THE YEAR	81.17	54.25
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	23,766.23	23,092.11
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	0.44	0.20
SUB TOTAL (b)	0.44	0.20
TOTAL 'A' = (a+b)	23,766.67	23,093.31
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	82,798.96	76,326.37
INCOME EARNED DURING THE YEAR	4,233.96	6,772.24
UTILISATION OF FUND	315.79	299.35
SIZE OF THE FUND -SUB TOTAL (a)	86,717.13	82,798.36
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	62.32	1,061.54
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	7,815.29	11,084.70
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	115,996.48	173,343.38
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	-	-
SUB TOTAL (b)	123,874.09	185,490.12
TOTAL 'B' = (a+b)	210,591.22	268,289.98
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	110,483.36	105,891.77
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	123,874.53	185,490.32
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	234,357.88	291,382.09

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 (CONTD.)

	Rupees in Lakhs	
	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'F'		
INVESTMENTS		
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	11,830.15	18,549.92
DEBENTURES AND BONDS	1,380.04	1,435.12
PREFERENCE SHARES	334,541.44	338,143.96
EQUITY SHARES	27,635.92	27,635.92
MUTUAL FUND UNITS		
TOTAL	375,387.55	385,765.22
QUOTED (AT COST*)	290,399.48	291,181.63
UNQUOTED (AT COST)	84,988.06	94,583.59
'A'	375,387.54	385,765.22
QUOTED (MARKET VALUE)	1,529,258.18	888,908.89
UNQUOTED (AT VALUATION)	43,270.84	49,699.72
'B'	1,572,529.02	938,608.61
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		
TOTAL ('B' - 'A')	1,197,141.48	552,843.39
SCHEDULE 'G'		
DEPOSITS		
DEPOSITS WITH BANKS		3,938.57
OTHER DEPOSITS	-	-
TOTAL		3,938.57
SCHEDULE 'H'		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	2,897.90	4,010.61
SUNDAY DEBTORS	3,742.99	3,702.86
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	585.93	954.84
ADVANCES, DEPOSITS ETC	467.87	318.41
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		
REMITTANCE TO GOVERNMENT OF INDIA		
TOTAL	7,694.74	8,986.72

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 301st March, 2010 (CONT'D....)

U S 64 BONDS

SCHEDULE 'I'
FIXED ASSETS

	GROSS BLOCK AT COST			DEPRECIATION			NET BLOCK		
	AS ON 31st MARCH, 2009	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	AS ON 31st MARCH, 2009	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.09 TO 31.03.2010	DEP. ON REVALUED COST 1.4.09 TO 31.03.10	TRANSFERRED FROM REVALUATION RESERVE	AS ON 31st MARCH, 2010
LAND (LEASEHOLD)	181.29	0.00	181.29	101.93	0.00	2.10	0.00	104.03	77.26
LAND (FREEHOLD)	1490.35	0.00	1490.35	1062.52	468.59	5.89	29.70	-	1490.35
BUILDINGS	1062.52	0.00	1062.52	5,044.52	48.29	2,168.11	0.00	151.39	593.33
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	5092.81	-	5,044.52	10351.72	4795.73	232.88	109.06	3027.79	3027.79
OWNERSHIP PREMISES	10984.37	0.00	632.65	480.84	54.08	426.76	53.78	306.24	5482.62
BUILDING IMPROVEMENTS	1604.95	0.00	143.47	1461.48	1194.13	115.31	41.02	4.91	14.90
FURNITURE & FIXTURE	2942.80	0.34	269.48	2653.66	2894.81	287.38	15.85	41.02	341.33
OFFICE EQUIPMENTS	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.82
VEHICLES	957.77	1.20	0.00	958.97	938.32	0.00	6.71	0.00	2623.28
COMPUTERS	24797.72	1.54	6164.20	18635.06	12924.49	2857.46	185.54	557.92	30.38
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	52.93	52.93	53.72	52.14	-	-	-	-	47.99
TOTAL	24850.65	54.47	6217.92	18667.20	12924.49	2857.46	185.54	557.92	11926.16
								372.38	10625.18
									8062.01
									52.14
									52.93

(RUPEES IN LAKHS)

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 (CONTD.)
Rupees In Lakhs

		UNIT SCHEME 64 BONDS	
		31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'J'			
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND			
EQUITY SHARES/PREF SHARES		145,488.31	150,686.28
DEBENTURES AND BONDS		37.05	47.71
MUTUAL FUND UNITS		48,950.86	83,214.80
DEPOSITS WITH BANKS		133,000.00	210,596.83
OTHER DEPOSITS		43,929.29	2,681.69
GOI SPECIAL BONDS		300.00	300.00
INVESTMENT AT COST	SUB TOTAL (A)	371,705.51	447,527.31
CURRENT ASSETS			
SUNDRY DEBTORS		184,746.59	53,564.50
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		3,992.81	13,038.25
SHARES / DEBENTURES APPLICATION MONEY		57.87	1,372.83
BANK BALANCES			
CONTRACT FOR SALE OF INVESTMENTS			
	SUB TOTAL (B)	188,797.27	67,975.58
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND TOTAL P=A+B		560,502.78	515,502.89
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF			
POST REDEMPTION FUND			
EQUITY SHARES		34,290.48	34,290.48
MUTUAL FUND UNITS		13,714.01	19,184.61
DEPOSITS WITH BANKS		5,677.81	1,185.97
OTHER DEPOSITS			
INVESTMENT AT COST	SUB TOTAL (A)	53,682.30	54,661.06
CURRENT ASSETS			
SUNDRY DEBTORS		22,906.58	18,256.16
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME			
	SUB TOTAL (B)	22,906.58	18,256.16
ASSETS OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF Q=A+B		76,588.88	72,917.22
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND R = P + Q		637,091.66	588,420.11
SCHEDULE 'K'			
ASSETS OF OTHER FUNDS			
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)			
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES			1,500.00
EQUITY SHARES		500.00	500.00
DEBENTURES AND BONDS			535.54
MUTUAL FUND UNITS		3,939.77	3,939.76
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS		3,890.55	1,031.71
INVESTMENT AT COST	SUB TOTAL (a)	8,330.32	7,507.01
CURRENT ASSETS			
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME			34.25
SUNDRY DEBTORS		15,436.33	15,551.74
	SUB TOTAL (b)	15,436.33	15,585.99
TOTAL A = (a+b)		23,766.65	23,093.00
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)			
DEBENTURES AND BONDS		5,397.66	11,803.34
EQUITY SHARES		20.67	23.91
MUTUAL FUND UNITS		23,124.40	38,391.53
TERM LOANS		840.01	984.83
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS		12,807.48	2,826.53
INVESTMENT AT COST	SUB TOTAL (a)	42,190.22	54,030.43
CURRENT ASSETS			
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		7,812.75	11,007.90
SUNDRY DEBTORS		160,588.27	203,250.79
	SUB TOTAL (b)	168,401.02	214,258.69
TOTAL B = (a+b)		210,591.24	268,289.09
ASSETS OF OTHER FUNDS	TOTAL (A+B)	234,357.89	291,382.09

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010**

		ARS BONDS		DIP 91		Rupees in Lakhs	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
LIABILITIES							
CAPITAL.....'A'							
RESERVES AND SURPLUS.....'B'							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'							
TOTAL LIABILITIES		120,643.60	420,136.29	3,485.39	3,913.57	7,399.43	7,399.75
ASSETS							
INVESTMENTS.....'D'							
DEPOSITS.....'E'							
CURRENT ASSETS.....'F'							
TOTAL ASSETS		120,643.60	420,136.29	3,485.39	3,913.57	7,399.43	7,399.75
NOTES TO ACCOUNTS.....'M'							

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
Partner
Mumbai

MTAIYAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVI RAJ
Administrator

Dated : 17th June, 2010

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2009 TO 31ST MARCH, 2010

	ARS BONDS	DIP 91	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	MIP 96 IV
INCOME							
DIVIDEND	2,997.79	2,756.97					
INTEREST	6,370.29	33,958.91					
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	811.91	2,592.27					
OTHER INCOME			7.74		0.09		
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	415.75	-	(451.97)				
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YEAR WRITTEN BACK	0.91	4.97	44.62				
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS WRITTEN BACK	184.62	1,050.37	381.16	79.96	28.55		37.73
PROVISION FOR DEPRICATION IN VALUE OF INVESTMENT WRITTEN BACK	-	-	-	-	0.03		56.43
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION WRITTEN BACK	-	345.08	-	-	-		0.01
SUB TOTAL (A)	10,781.27	40,716.31	485.51	396.79	319.97		1,479.91
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	5.66	5.38	-				
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS	38.74	-	6.68	56.14			97.13
LESS:PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION	-	294.91	70.74	-			58.62
SUB TOTAL (B)	44.40	300.29	77.42	56.14	58.62		97.13
TOTAL (A-B)	10,736.87	40,416.02	408.09	340.65	261.35		1,382.78
EXPENDITURE							
INCOME DISTRIBUTION		34,233.52					
OFFICE EXPENSES	338.12	716.81	0.92	1.16	2.05		(4.58)
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	126.17	941.36	1.87	3.94	15.95		16.03
AUDITORS FEES	1.22	8.28	0.02	0.04	0.03		0.09
AMC FEES	133.78	1,273.73	9.44	8.99	18.42		17.84
PRIOR PERIOD EXPENSES	-	173.56	(10.08)	3.21	0.85		397.48
SUB TOTAL (A)	589.29	31,347.28	2.17	17.84	37.30		426.66
ADD:LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS							
ADD:LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	8,580.64	1,766.54	380.52	-	2.89		419.45
SUB TOTAL (B)	8,580.64	1,766.54	380.52		2.89		419.45
TOTAL (A+B)	9,169.93	39,113.82	382.69	17.84	40.19		846.11
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		1,566.94	1,302.20	25.40	322.81		532.67
TOTAL	10,736.87	40,416.02	408.09	340.65	261.35		1,382.78

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2009 TO 31ST MARCH, 2010**

	ARS BONDS	DIP 91	DIP 96 IV	Rupees in Lakh
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81
TOTAL	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR				
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81
TOTAL	1,566.94	1,302.20	25.40	322.81

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
 For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.

Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
Partner
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
 Dated : 17th June, 2010

Dip 91
 Dip 96 IV

57

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

				Rupees in Lakhs	
				MIP § 6 IV	
			DIP 91		
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'A'					
CAPITAL					
BOND CAPITAL					
	TOTAL		497,549.62		
SCHEDULE 'B'					
RESERVES AND SURPLUS					
GENERAL RESERVE					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET					
ADD TRANSFER OF GENERAL RESERVE OF MERGED SCHEMES					
ADD - BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT					
ADD - PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION					
	TOTAL	(126,089.20)	(127,271.88)	2,419.56	2,395.62
					4,399.07
					3,865.49
SCHEDULE 'C'					
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS					
CURRENT LIABILITIES					
SUNDRY CREDITORS					
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION					
	SUB TOTAL (A)	245,608.14	48,129.63	530.84	532.93
					1,254.15
PROVISIONS					
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME					
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS					
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS					
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS					
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION					
	SUB TOTAL (B)	4,124.55	1,729.92	535.00	965.02
					1,537.66
	TOTAL (A+B)	246,732.79	49,858.55	1,065.84	1,517.95
					2,721.81
					3,000.68
					1,585.78

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 (CONT'D).

Princes in lakhs

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010****Schedule "M"**

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government v/d its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust Of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.
2. The Government of India announced limited repurchase facility at the specified assured prices for US 64 and financial package for assured return schemes. The difference between the net asset value (NAV) and the applicable repurchase / assured price had been compensated by the Government. This deficit have been accounted for as 'Inflow from GOI Special Packages' under the Unit Premium Reserve and the amount received in advance in respect of short fall is accounted under the head 'Sundry Creditors' in the case of US 64 and for other schemes the deficit shown under 'General Reserve' have been made up by the DRF which has been accounted for all Govt. grant received as 'Grant Received from GOI'.
3. In case of CGGF -86 an amount of Rs. 32.60 crore (previous year 34.53 crore) has been accounted as repurchase payable to unit holders representing the units, which though matured till the foreclosure date but not claimed by the unit holder.
4. The application money and other objection cases under various schemes amounting to Rs. 2.93 crore (previous year Rs.3.08 crore)
5. a. The unlisted /non traded preference shares costing Rs.15.80 crore (previous year 16.54 crore) have been valued at NIL as in the opinion of the 'valuation committee' the said preference shares have very negligible residual value.
 b. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following difference:
 (i) Rs. 9.18 crore (cost) in equity shares out of which for 0.24 crore the excess shares lying with the custodian are to be returned to the company/promoter and for 8.94 crore the sale of equity shares is effected in books by us but the shares not released by the custodian.

(ii) Rs. 0.08 crore (cost) in preference shares where the companies are not responding/are under liquidation.

(iii) Difference of Rs. 285.48 crore of face value in debentures and Bonds. Out of this for Rs. 176.28 crore the legal action is taken for recovery of dues and for Rs. 57.86 crore the confirmation/letter evidencing servicing of dues from company is available. Further for Rs. 33.15 crore, the companies have not issued security subsequent to restructuring and for Rs. 4.64 crore the redemption amount is not received. Other differences of Rs. 13.55 crore are on account of redemption proceeds not received, redemption receipts accounted subsequently in books or the companies are sick/liquidated etc.

6. Investments include:-

- i) Shares costing Rs. 0.057 crore (previous year Rs. 1.68 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. Though the necessary formalities required for transfer of these shares have been completed by the Trust, the matter is still pending with the Stock Exchange/Office of the custodian; however petition has been filed in Special Court Mumbai for all the cases;
- ii) Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
- iii) Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;
- iv) Debt exposure in respect of which security creation is in process.

7. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Technology Services Ltd.	100%
UTI Investment Advisory Services Ltd.	89.33%
Axis Bank Ltd.	24.00%
UTI Infrastructure And Services Ltd.	100%

8. The Trust had received notices under the Wealth Tax Act relating to past years and raised demand for Rs. 3.84 crore for which the erstwhile Trust preferred an appeal with Commissioner of wealth Tax that was allowed by him. Subsequent appeal by the department with Income Tax Appellate Tribunal was dismissed as the appeals had been filed by the Wealth Tax Authorities without obtaining permission of their department (which is mandatory). Subsequently, the Wealth Tax Authorities have got the permission, however, no fresh notice for restoration of Appeals has either been received by us or by Advocate.

9. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure and Services Limited (Company), a 100% subsidiary of SUUTI. The company is yet to enter into formal agreement with SUUTI relating to the scope of work and related services.
- The formalities relating to documentation for various properties under the ownership/ possession of SUUTI are being completed as the sale is a continuous process.
 - SUUTI has given the properties on lease to various companies, however the formal agreements with lessees are yet to be entered, and accrue & recover rent/ other expenses from various associates/ subsidiaries and other parties for which details are being compiled.
 - During the year, SUUTI has sold various properties, formalities relating to transfer/ sale of properties in few cases, are under process as the sale is a continuous process.
10. Contingent Liabilities not provided for cases pending with Consumer Forum is Rs.1.57 crore.
11. The figures are regrouped / reclassified wherever necessary.

IMTAIYAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K N PRITHVIRAJ
Administrator

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ASHOK BHARTIA
Partner

MUMBAI
DATED : 17th June 2010

AUDITORS' REPORT

The Administrator,
Specified Undertaking of Unit
Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of 2 Schemes viz. VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS I) and VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as at 31st March 2010 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standard generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the Audit indicated herein, and as required by the 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal)Act, 2002', and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that :

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act; the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 has notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI mutual Fund.

Subject to our observations referred herein above, we further report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts;
- c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the notes as per Schedule 'H' and the statement of Significant Accounting policies.
 - i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal)Act, 2002', so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Scheme as on 31st March 2010.
 - ii. The said Revenue Accounts of the Schemes show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for VECAUS-I and VECAUS-III for the year ended on that date.

**FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants)**

[Ashok Bhartia]

Place: Mumbai

Dated: 16.08.2010

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PRESENTATION

The accounts have been prepared under the historical cost convention adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION

- a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Revenue recognition on loans placed in nonaccrual status may be resumed and suspended income recognised when the investment becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayments is recognised as income when received.
- c) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose of determining gains or loss on sale.
- d) Provisions are made in respect of accrued income considered doubtful by the Fund Manager. Such provisions as well as any subsequent recoveries are recorded through the Revenue Account.
- e) Appraisal fee is recorded as income on an accrual basis. Front-end fee is recorded on accrual basis and is reflected as a recovery of a part of the cost of investments.

3. EXPENSES

All expenses are accounted for on accrual basis.

4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve.

5. SHORT TERM INVESTMENTS

Investments in units of mutual funds, which are available for sale, are carried at the Net Asset Value (NAV) as at the Balance Sheet date. The unrealized gain on these investments is taken to the Reserves & Surplus Account.

6. INVESTMENTS

- a) Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as determined by the Fund Manager.
- b) The fair value of investments is determined as follows :
 - i. Quoted investments are valued on the valuation date at the closing market price. Quoted investments that are not traded on the valuation date but are traded during the two months prior to the valuation date are valued at the latest known closing price. An appropriate discount is applied where the Fund Manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded during the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
 - ii. Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity. In the absence of such third party transactions:
 - Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
 - Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.
 - Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
 - The post balance sheet events, including the application of appropriate price earnings multiple, have been considered and factored upto the date on which these statements have been prepared in assessing the fair value of the unquoted Investments as at March 31, 2010.
 - iii. Investments, which are listed as at Balance Sheet date and are fully written off in the books during earlier periods, will be carried at written down value. Gains, if any, will be recognized upon sale of investments.
 - iv. Nominal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
 - v. Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share. Preference Shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010

		VECAUS I	VECAUS II	VECAUS III
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010
ASSETS				
INVESTMENTS.....	'A'	385.99	370.85	-
DEPOSITS.....	'B'	0.88	0.32	7.86
OTHER CURRENT ASSETS.....	'C'	3.65	4.99	2.83
TOTAL		390.52	376.16	944.98
LESS, CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS.....	'D'	2.29	2.86	1,347.26
NET ASSETS		388.23	373.30	963.22
			(1,076.73)	384.04
REPRESENTED BY				
LIABILITIES				
CAPITAL.....	'E'	-	1.00	1,550.00
RESERVES & SURPLUS.....	'F'	364.94	356.76	(1,076.73)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE.....	'G'	23.29	15.54	(1,165.96)
TOTAL		388.23	373.30	384.04
NOTES TO ACCOUNTS	'H'			

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
 For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO,
 Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
 Partner

INTAIYAZUR RAHMAN
 Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIBAJ
 Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2009 TO 31ST MARCH, 2010

	Rupees in Lakh		
	VECAUS I	VECAUS II	VECAUS III
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
INCOME			
DIVIDEND			
INTEREST			
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS			
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK			
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS WRITTEN BACK			
PROVISION FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTMENT WRITTEN BACK			
SUB TOTAL (A)	10.34	107.97	244.63
LESS: INVESTMENT LOSSES			
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME			
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTMENT			
SUB TOTAL (B)	10.34	107.97	244.63
TOTAL (A+B)	90.63	107.97	189.71
EXPENDITURE			
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES			
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES			
OTHER EXPENDITURE			
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS			
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE			
TOTAL	10.34	107.97	189.71
N.B.—A			

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2009 TO 31ST MARCH, 2010

Rupees in Lakhs			
	VECAUS I	VECAUS III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	356.76	261.71	(1,165.96)
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	8.18	95.05	186.56
TOTAL	364.94	356.76	(1,076.73)
PREMIUM PAID ON REDEMPTION			
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	364.94	356.76	(1,076.73)
TOTAL	364.94	356.76	(1,076.73)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
Partner

MUMBAI
Dated 17th June, 2010

K.N. PRITHVI RAJ
Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010
Rupees in Lakhs

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

	VECAUS I	VECAUS III
	31.03.2010	31.03.2009
	31.03.2010	31.03.2009
SCHEDULE 'A'		
INVESTMENTS AT VALUATION		
EQUITY SHARES	385.99	370.86
MUTUAL FUND UNITS	TOTAL	385.99
INVESTMENTS AT COST		
QUOTED		292.50
EQUITY SHARES		2,143.94
UNQUOTED		2,761.12
EQUITY SHARES	362.70	355.31
MUTUAL FUND UNITS	TOTAL COST 'A'	362.70
QUOTED(MARKET VALUE)	385.99	370.85
UNQUOTED(AT VALUATION)		399.45
FAIR VALUE 'B'	385.99	370.85
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.		(2,436.44)
TOTAL ('B' - 'A')	23.28	15.54
SCHEDULE 'B'		
DEPOSITS		7.86
OTHER DEPOSITS		2.83
TOTAL	0.88	0.32
SCHEDULE 'C'		
OTHER CURRENT ASSETS	0.18	0.25
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	3.47	4.74
SUNDRY DEBTORS		0.13
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		5.44
TOTAL	3.65	4.99

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

Rupees in Lakhs

	VECAUS I	VECAUS II	VECAUS III
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010
SCHEDULE 'D'			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
CURRENT LIABILITIES			
SUNDAY CREDITORS	2.29	2.86	1,116.84
INCOME RECEIVED IN ADVANCE			
SUB TOTAL (A)	2.29	2.86	1,116.84
PROVISIONS			
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS			
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME			
SUB TOTAL (B)	-	-	-
TOTAL (A+B)	2.29	2.86	1,834.74
SCHEDULE 'E'			
UNIT CAPITAL			
OPENING BALANCE		1.00	1,750.00
LESS: REDEEMED DURING THE YEAR			
TOTAL	-	1.00	200.00
			1,550.00
SCHEDULE 'F'			
RESERVES AND SURPLUS			
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			
BALANCE AS PER ACCOUNT			
TOTAL	364.94	356.76	(1,076.73)
			(1,165.96)
SCHEDULE 'G'			
UNREALISED INVESTMENT RESERVE			
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET.....	15.54	16.12	
APPRECIATION/(DEPRECIATION) DURING THE PERIOD.....	7.74	(0.57)	
TOTAL	23.29	15.54	

**SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA
VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**

**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31st MARCH, 2010**

SCHEDULE H

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund.
2. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited or singly in the name of the Unit Trust of India.
3. VECAUS-I scheme was launched in 1994. The scheme was to be closed/ terminated in October 2004. However extension has been granted and it has not so far been terminated.
4. Previous years figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

**IMTAIYAZUR RAHMAN
CHIEF FINANCE OFFICER**

**For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

**ASHOK BHARTIA
PARTNER
MUMBAI
DATED : 17th June 2010**

**K N PRITHIVIRAJ
ADMINISTRATOR**

SURUCHI WANARE, Assistant Vice President

[ADVT III/IV/41/10-Exty.]